Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE No.139/2005

No.E(MPP)2005/13/2

New Delhi, dated 22.08.05

The General Manager,
Central Railway, Mumbai
Eastern Railway, Kolkata
Northern Railway, New Delhi
North Eastern Railway, Gorakhpur
Northeast Frontier Railway, Guwahati
Southern Railway, Chennai
South Central Railway, Secunderabad
South Eastern railway, Kolkata
Western Railway, Mumbai.
East Central Railway, Hajipur
East Coast Railway, Bhubaneswar
North Central Railway, Allahabad.
North Western Railway, Jaipur
South East Central Railway, Bilaspur
South Western Railway, Hubli
West Central Railway, Jabalpur.

Sub:- Monetary incentive in the form of Training Allowance to faculty members deputed to Training Centres for Group 'C' & 'D' staff.

Kindly refer to this Ministry's letter No.E(MPP)2002/13/3 dated 24.1.03 (RBE No.21/2003) wherein sanction of the Ministry of Railways was communicated for grant of training allowance to the various training centres.

2. The Ministry of Railways had been considering extending the benefit of grant of training allowance to the Faculty Members of other training centres. It has now been decided that faculty members, both gazetted and non-gazetted drawn from the field for the purpose of imparting training in the following 114 training centres may be granted Training Allowance @ 15% in terms of extant orders:-

............2/-

CENTRAL RAILWAY

1. Central Bridge Training Institute/Manmad/CR
2. Basic Training Centre(S&T)/Bhusawal/CR
3. Basic Training Centre (ELS)/Ajni/CR
4. Drivers/Assistant Drivers Training Centre /Ajni/CR
5. Basic Training Centre (ELW)/Bhusawal/CR
6. Basic Training Centre (Diesel)/Pune/CR
7. Basic Training Centre (ELS)/Bhusawal/CR
8. Basic Training Centre (ELS)/Kalyan/CR
9. Basic Training Centre /Kurla Car Shed/Mumbai/CR
10. Divisional Engineering Training Centre/Bhusawal/CR
11. Divisional Engineering Training Centre/Daund/CR
12. Divisional Training Centre/Karnak Bunder/Mumbai/CR
13. Divisional Engineering Training Centre/Nagpur/CR

EASTERN RAILWAY

14. Engineering Training Centre/Beliaghata/ER
15. BOXN Training Centre/Andal/ER
16. Basic Training Centre/Liluah/ER
17. C&W Training Centre/Asansol/ER
18. C&W Training Centre/Chitpur/ER
19. Diesel Traction Training Centre/Andal/ER
20. Diesel Traction Training Centre/Burdwan/ER
21. Diesel Traction Training Centre/Howrah/ER
22. Traffic Training Centre/Madhupur/ER

NORTHERN RAILWAY

23. Bridge Staff Training Centre/Tuglakabad/NR
24. Basic Training Centre /Charbagh/Lucknow/NR

NORTH EASTERN RAILWAY

25. Engineering Training Centre/Aishbag/Lucknow/NER
26. Permanent Way Trg. Centre/Izatnagar/NER
27. Permanent Way Trg Centre/Varanasi/NER
28. C&W Training Centre /Izatnagar/NER
29. C&W Training Centre /Charbagh/Lucknow/NER
30. C&W Training Centre /Barelly city/NER
31. C&W Training Centre /Varanasi/NER
32. RPSF Trg. Centre/Gorakhpur/NER

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

33. Divisional Training Centre(Engineering)/Tinsukia/NFR
34. Divisional Training Centre(Engineering/Tfc)/KatiharNFR
35. Divisional Training Centre(Engineering)/Alipurduar Jn./NFR
36. Divisional Training Centre(Engineering)/Lumding/NFR

SOUTHERN RAILWAY

37. Basic Training Centre (Engg.)/Arakkonam/SR
38. Basic Training Centre (Loco)/Ayanavaram/Perambur/SR
39. Basic Training Centre/Ponmalai/SR
40. Basic Training Centre /Tiruchirappally/SR
41. Basic Training Centre (Elect./Mech.)/Royapuram/SR
42. TRD Training Centre /Arakkonam/SR
43. Diesel Traction Training Centre/Tondiarpet/SR
44. Permanent Way Training Centre/Madurai/SR
45. Permanent Way Training Centre/Tambaram/SR
46. Permanent Way Training Centre/Quilon/SR

............3/-

SOUTH CENTRAL RAILWAY

47. Accounts Training Centre/Secunderabad/SCR
48. C&W Training Centre/Gooty/SCR
49. Traffic Training Centre/Vijayawada/SCR
50. Engineering Training Centre/Mirayalguda/SCR
51. Engineering Training Centre /Rajmundry/SCR
52. Engineering Training Centre /Washim/SCR
53. Basic Training Centre(CRS)/Tirupati/SCR
54. C&W Training Centre /Ramagundam/SCR
55. C&W Training Centre/Kacheguda/SCR

SOUTH EASTERN RAILWAY

56. Basic Training Centre/Kharagpur/SER
57. Diesel Training Centre /Rourkela/SER
58. Engineering Training Centre /Chakradharpur/SER
59. Engineering Training Centre /Adra/SER
60. Engineering Training Centre /Kharagpur/SER
61. C&W Training Centre/Adra/SER
62. C&W Training Centre /Chakradharpur/SER
63. C&W Training Centre/Kharagpur/SER

WESTERN RAILWAY

64. Area Training Centre /Rajkot/WR
65. C&W Training Centre /Baroda/WR
66. C&W Training Centre/Ujjain/WR
67. Basic Training Centre (C&W)/Pratapnagar/WR
68. Engineering Training Centre /Mumbai Central/WR
69. Engineering Training Centre /Baroda/WR
70. Engineering Training Centre /Ratlam/WR
71. Engineering Training Centre /Rajkot/WR
72. Engineering Training Centre /Bhavnagar/WR

EAST CENTRAL RAILWAY

73. Electrical Traction Training Centre/Mughalsarai/ECR
74. BOXN Training Centre (DSL)/Mughalsarai/ECR
75. OHE Training Centre/Dhanbad/ECR
76. C&W Training Centre /Samastipur/ECR
77. Permanent Way Training Centre /Samastipur/ECR
78. Permanent Way Training Centre /Sonpur/ECR
79. C&W Training Centre /Sonpur/ECR
80. Traffic Training Centre/Mokama/ECR

EAST COAST RAILWAY

81. Diesel Training Centre /Visakapatnam/ECOR
82. Basic Training Centre (CRW)/Manchswar/ECOR
83. C&W Training Centre/Visakapatnam/ECOR

NORTH CENTRAL RAILWAY

84. Electrical Training Centre (TRD)/Jhansi/NCR
85. BTC(Wagon W/S)/JHS/NCR
86. Permanent Training Centre/Jhansi/NCR

............4/-

NORTH WESTERN RAILWAY

87. C&W Training Centre /Jodhur/NWR
88. Traffic Training Centre /Lalagarh/NWR
89. C&W Training Centre /Lalagarh/NWR
90. Permanent Way Training Centre /Lalagarh/NWR
91. Divisional Engineering Training Centre/Ajmer/NWR
92. Divisional Engineering Training Centre/Bandikui/NWR

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

93. Engineering Training Centre /Bilaspur/SECR
94. Permanent Way Training Centre /DGG/Nagpur/SECR
95. Staff Training Centre(Operating)/Bhilai/SECR
96. Loco Training Centre/Bilaspur/SECR
97. Traffic Training Centre /Dongargarh/SECR
98. Loco Training Centre /Bezonobagh/SECR

SOUTH WESTERN RAILWAY

99. Traffic Training Centre/Srirangapattana/SWR
100. Basic Training Centre/Mysore/SWR
101. Basic Training Centre (C&W)/Mysore/SWR
102. Traffic Training Centre /Dharwad/SWR
103. Civil Engineering Training Centre /Dharwad/SWR
104. Technical Training Centre (Elecdt.)/Hubli/SWR
105. Electrical Training Centre/Mysore/SWR
106. Traffic Training Centre/Bellary/SWR
107. Permanent Way Training Centre/Bangalore/SWR

WEST CENTRAL RAILWAY

108. Basic Training Centre (TRS)/Itarsi/WCR
109. Basic Training Centre (C&W)/Itarsi/WCR
110. Basic Training Centre (Engg.)/Jabalpur/WCR
111. Area Training Centre /Bhopal/WCR
112. Diesel Training Centre/Itarsi/WCR
113. Divisional Engineering Training Centre//Bhopal/WCR
114. Engineering Training Centre/Kota/WCR

3. The Head of the training centre would be eligible for grant of training allowance only if the post is held by him/her on a full time basis and the selection is held in the manner as detailed in para 5(g) below.

4. With a view to enable the Principals of these training centres to give due attention to training and to exercise proper supervision, it is necessary that these Principals should be posted full time, with office in the training centre itself.

5. The following guidelines should be observed for sanction of the Training Allowance:-

(a) Faculty members, both gazetted and non-gazetted, who are drawn from the field and whose duty is to impart training/education to the trainees may be granted 'Training Allowance' at the rate of 15% of the basic pay in the revised scales of pay;

(b) Consequent to the grant of 'Training Allowance' as mentioned in para (a) above, the existing training allowance, special pay, deputation pay and allowances thereon will not be admissible to the faculty members posted to these training centres.

..............5/-

(c) Faculty means "An employee" of the Government who joins a training institute meant for training government officials as a faculty member and whose work is to impart training/teaching. This will also include the principals of these training institutes. However, Faculty members recruited directly and specifically for the training institutions are not eligible for this '"Training Allowance"

(d) Staff, whether drawn from the field or transferred or locally recruited, who are not directly engaged in imparting training/education will not be eligible for the "Training Allowance".

(e) Training Allowance will be admissible to the faculty members without any ceiling and will not form the part of pay as defined in FR(9)(21)(2003(21)-R-II, but however, will count for purpose of leave salary.

(f) Tenure period of faculty members shall not exceed eight years in any case and under any circumstances.

(g) The admissibility of the allowance in each individual case will be examined by a Committee at appropriate level to be constituted as per Board's letter No.E(MPP)2001/19/3-Recommendation No.37 dated 29.6.2001 (RBE No.127/2001). These committees would adopt a strict selection process to find excellent trainers for such appointments. The guidelines for such selection should not only take into account the outstanding service records but also good training capability and aptitude for the job. Regard should also be given for participation in trainers training course, keenness of interest taken by the officials in providing requisite training to their subordinates in the various jobs held by them and to their performance in their earliest assignment, if any, in posts relating to training. The above instructions should be read with Board's letter No.E(MPP)99/19/1/Pt. dated 11.3.03 (RBE No.49/2003). It should be ensured that before the training centre/institute and trainers are sanctioned this allowance they must satisfy the above guidelines. The trainers not recommended by the Committee should be repatriated to their respective parent cadres. Adhoc appointees will not be allowed this Training Allowance till they are regularized.

6. These orders will take effect from 1.4.2005.

7. It is clarified that until such time the screening is done and the Faculty Members not found fit are repatriated to their respective parent cadres, such persons who have worked as Faculty Members may be allowed training Allowance from the date of joining or 1.4.2005 whichever is later, till the date of reversion.

.........6/-

8. It is further clarified that Railways have no authority to start a training institute/centre without Board's prior approval.

9. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(P. Ananth)
Director(MPP)
Railway Board.

No.E(MPP)2005/13/2 New Delhi, dated 22.08.05

Copy forwarded for information to:-

1. Deputy Comptroller and Auditor General of India(Railways)/New Delhi (40 spares)
2. FA&CAOs, CR, ER, NR, NER, NFR, SR, SCR, SER, WR, ECR, EcoR, NCR, NWR, SECR, SWR & WCR.

for Financial Commissioner/Railways.

No.E(MPP)2005/13/2 New Delhi, dated 22.08.05

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi for information with 35 spares.
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, R.No.268, Rail Bhawan, New Delhi for information with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi(90 spares)
6. The General Secretary, All Indian RPF Association, Room No.256, Rail Bhawan, New Delhi-110 001 for information with 5 spares.

For Secretary/Railway Board.

Copy to:-

CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml.), AM(Elect.), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Staff), AM(Rly. Stores), AM(T&C), AM(Telecom.), AM(Tfc.), AM(Works), Adv(Vig.), Adv. Fin(Exp), Adv.(IR), LA , OSD(MIS)

ED(Plg.), ED(Accts.), ED Fin.(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(Trg.&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT),EDME(Dev.), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Projects), ED(Projects)/DMRC, EDRE, ED(Safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat&Eco), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDT(M), EDT(MC),EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM)EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T),ED(W) .

E(Trg.), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)Spl, F(E)II, PC-V, E(LR)I, Security(ABE)

Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 139/2005

सं ई (एम पी पी)2005/13/2 नई दिल्ली, दिनांक 22.8.05

महाप्रबंधक,
मध्य रेलवे, मुंबई,
पूर्व रेलवे, कोलकाता,
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/गुवाहाटी
दक्षिण रेलवे, चेन्नै,
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता,
पश्चिम रेलवे, मुंबई.
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

विषय :समूह 'ग' एवं 'घ' के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों पर तैनात संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना.

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 24.1.03 के पत्र सं. ई (एम पी पी)2002/13/3 (आर बी ई सं. 21/2003) का अवलोकन करें जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के वास्ते रेल मंत्रालय की स्वीकृति संसूचित की गई थी.

2. रेल मंत्रालय द्वारा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते का लाभ देने पर विचार किया गया था. अब यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित 114 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से क्षेत्रों से लिए गए राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों प्रकार के संकाय के सदस्यों को मौजूदा आदेशों के अनुसार 15% की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया

--/

जारी :-

<u>मध्य रेलवे</u>

1. मध्य पुल प्रशिक्षण संस्थान/मनमाड/मध्य रेलवे
2. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (सि. एवं दू.)/भुसावल/मध्य रेलवे
3. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (ई एल एस)/अजनी/मध्य रेलवे
4. ड्राइवर/सहायक ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र/अजनी/मध्य रेलवे
5. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (ई एल डब्ल्यू)/भुसावल/मध्य रेलवे
6. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (डीजल) पुणे/मध्य रेलवे
7. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (ई एल एस) भुसावल/मध्य रेलवे
8. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (ई एल एस) कल्याण/मध्य रेलवे
9. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/कुर्ला कार शेड/मुंबई/मध्य रेलवे
10. मंडल इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र/भुसावल, मध्य रेलवे
11. मंडल इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र/दौंड, मध्य रेलवे
12. मंडल प्रशिक्षण केन्द्र/करनाक बंदर/मुंबई/मध्य रेलवे
13. मंडल इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र/नागपुर/मध्य रेलवे

<u>पूर्व रेलवे</u>

14. इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र/बालीघाट/पूर्व रेलवे
15. बाक्स एन प्रशिक्षण केन्द्र/अंडाल/पूर्व रेलवे
16. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/लिलुआ/पूर्व रेलवे
17. सी एंड डब्ल्यू प्रशिक्षण केन्द्र/आसनसोल/पूर्व रेलवे
18. सी एंड डब्ल्यू प्रशिक्षण केन्द्र/चितपुर/पूर्व रेलवे
19. डीजल कर्षण प्रशिक्षण केन्द्र/अंडाल/पूर्व रेलवे
20. डीजल कर्षण प्रशिक्षण केन्द्र/बर्दवान/पूर्व रेलवे
21. डीजल कर्षण प्रशिक्षण केन्द्र/हावड़ा/पूर्व रेलवे
22. यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/मधुपुर/पूर्व रेलवे

<u>उत्तर रेलवे</u>

23. पुल कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान/तुगलकाबाद/उत्तर रेलवे
24. आधार प्रशिक्षण संस्थान/चारबाग/लखनऊ/उत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे

25. इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र/ऐशबाग/लखनऊ/पूर्वोत्तर रेलवे
26. रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/इज्जतनगर/पूर्वोत्तर रेलवे
27. रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/वाराणसी/पूर्वोत्तर रेलवे
28. सवारी एवं मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/इज्जतनगर/पूर्वोत्तर रेलवे
29. सवारी एवं मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/चारबाग/लखनऊ/पूर्वोत्तर रेलवे
30. सवारी एवं मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/बरेली सिटी/पूर्वोत्तर रेलवे
31. सवारी एवं मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/वाराणसी/पूर्वोत्तर रेलवे
32. रेल सुरक्षा विशेष बल प्रशिक्षण केन्द्र/गोरखपुर/पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

33. मंडल प्रशिक्षण केन्द्र (इंजीनियरी)/तिनसुकिया/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
34. मंडल प्रशिक्षण केन्द्र (इंजीनियरी/यातायात)कटिहार/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
35. मंडल प्रशिक्षण केन्द्र (इंजीनियरी)/अलीपुरद्वार जंक्शन/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
36 मंडल प्रशिक्षण केन्द्र (इंजीनियरी)/लमडिंग/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

दक्षिण रेलवे

37. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (इंजीनियरी)/अरक्कोणम/दक्षिण रेलवे
38 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (लोको)/अयानावरम/पैरम्बूर/दक्षिण रेलवे
39 आधार प्रशिक्षण केन्द्र /पोनमलाई/दक्षिण रेलवे
40 आधार प्रशिक्षण केन्द्र/ तिरूचिरापल्ली/दक्षिण रेलवे
41 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (बिजली/यांत्रिक)/रायपुरम/दक्षिण रेलवे
42 टी आर डी/प्रशिक्षण केन्द्र/अरक्कोणम/दक्षिण रेलवे
43 डीजल कर्षण प्रशिक्षण केन्द्र/तोनडियरपेट्ट/दक्षिण रेलवे
44 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/मदुरै/दक्षिण रेलवे
45 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/ताम्बरम/दक्षिण रेलवे
46 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/कोल्लम/दक्षिण रेलवे

दक्षिण मध्य रेलवे

47 लेखा प्रशिक्षण केन्द्र/सिकंदराबाद/दक्षिण मध्य रेलवे
48 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/गुटी/दक्षिण मध्य रेलवे
49 यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/विजयवाड़ा/दक्षिण मध्य रेलवे
50 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/मिरयालगुडा/दक्षिण मध्य रेलवे
51 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/राजमुन्द्री/दक्षिण मध्य रेलवे
52 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/वाशिम/दक्षिण मध्य रेलवे
53 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (सी आरएस)/तिरूपति/दक्षिण मध्य रेलवे
54 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/रामगुडंम/दक्षिण मध्य रेलवे
55 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/काचेगुडा/दक्षिण मध्य रेल

दक्षिण पूर्व रेलवे

56 आधार प्रशिक्षण केन्द्र/खड़गपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे
57 डीजल प्रशिक्षण केन्द्र/राउरकेला/दक्षिण पूर्व रेलवे
58 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/चक्रधरपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे
59 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/आद्रा/दक्षिण पूर्व रेलवे
60 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/खड़गपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे
61 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/आद्रा/दक्षिण पूर्व रेलवे
62 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/चक्रधरपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे
63 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/खड़गपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे

पश्चिम रेलवे

64 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/राजकोट/पश्चिम रेलवे
65 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/बड़ौदा/पश्चिम रेलवे
66 सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/उज्जैन/पश्चिम रेलवे
67 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (सी एंडडब्ल्यू) /प्रतापनगर/पश्चिम रेलवे
68 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/मुम्बई सेन्ट्रल/पश्चिम रेलवे
69 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/बड़ौदा/पश्चिम रेलवे
70 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/रतलाम/पश्चिम रेलवे
71 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/राजकोट/पश्चिम रेलवे
72 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/भावनगर/पश्चिम रेलवे

पूर्व मध्य रेलवे

73 बिजली कर्षण प्रशिक्षण केन्द्र/मुगलसराय/पूर्व मध्य रेल
74 बाक्स एन प्रशिक्षण केन्द्र (डी एस एल)/मुगलसराय/ पूर्व मध्य रेल
75 ओ एच ई प्रशिक्षण केन्द्र/धनबाद/पूर्व मध्य रेल
76 सवारी और मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/समस्तीपुर/पूर्व मध्य रेल
77 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/समस्तीपुर/पूर्व मध्य रेल
78 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/सोनपुर/पूर्व मध्य रेल
79 सवारी और मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/सोनपुर/पूर्व मध्य रेल
80 यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/मोकामा/पूर्व मध्य रेल

पूर्व तट रेलवे

81 डीजल प्रशिक्षण केन्द्र/विशाखापत्तनम/पूर्व तट रेलवे
82 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (सी आरडब्ल्यू)/मंचेश्वर/पूर्व तट रेलवे
83 सवारी और मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/विशाखापत्तनम/पूर्व तट रेलवे

उत्तर मध्य रेलवे

84 बिजली प्रशिक्षण केन्द्र/टी आर डी/झांसी/उत्तर मध्य रेलवे
85 बी टी सी (मालडिब्बा डब्ल्यू/एस)/झांसी/उत्तर मध्य रेलवे
86 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/झांसी/उत्तर मध्य रेलवे

उत्तर पश्चिम रेल

87 सवारी और मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/जोधपुर/उत्तर पश्चिम रेलवे
88 यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/लालगढ़/उत्तर पश्चिम रेल
89 सवारी और मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/लालगढ़/उत्तर पश्चिम रेल
90 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/लालगढ़/उत्तर पश्चिम रेल
91 मंडल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/अजमेर/उत्तर पश्चिम रेल
92 मंडल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/बांदीकुई/उत्तर पश्चिम रेल

दक्षिण पूर्व मध्य रेल

93 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/बिलासपुर/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
94 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/डी जी जी/नागपुर/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
95 कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र (परिचालन)/भिलाई/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
96 लोको प्रशिक्षण केन्द्र/बिलासपुर/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
97 यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/डोंगरगढ़/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
98 लोको प्रशिक्षण केन्द्र/बेजोनोबाग/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

दक्षिण पश्चिम रेलवे

99 यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/श्री रंगापत्तनम/दक्षिण पश्चिम रेलवे
100 आधार प्रशिक्षण केन्द्र/मैसूर/दक्षिण पश्चिम रेलवे
101 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (सी एंड डब्ल्यू)/मैसूर/दक्षिण पश्चिम रेलवे
102 यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/धारवाड/दक्षिण पश्चिम रेलवे
103 सिविल इंजीनियरंग प्रशिक्षण केन्द्र/धारवाड़/दक्षिण पश्चिम रेलवे
104 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (बिजली)/हुबली/दक्षिण पश्चिम रेलवे
105 बिजली प्रशिक्षण केन्द्र/मैसूर/दक्षिण पश्चिम रेलवे
106 यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/बेलारी/दक्षिण पश्चिम रेलवे
107 रेलपथ प्रशिक्षण केन्द्र/बैंगलूरू/दक्षिण पश्चिम रेलवे

पश्चिम मध्य रेलवे

108 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (टी आर एस)/इटारसी/पश्चिम मध्य रेलवे
109 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (सी एण्ड डब्ल्यू)/इटारसी/पश्चिम मध्य रेलवे
110 आधार प्रशिक्षण केन्द्र (इंजी.)/जबलपुर/पश्चिम मध्य रेलवे
111 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/भोपाल/पश्चिम मध्य रेलवे
112 डीजल प्रशिक्षण केन्द्र/इटारसी/पश्चिम मध्य रेलवे
113 मंडल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/भोपाल/पश्चिम मध्य रेलवे
114 इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र/कोटा/पश्चिम मध्य रेलवे

3. इन प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यक्ष प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के लिए तभी पात्र होंगे यदि वह इन पदों पर पूर्णकालिक आधार पर कार्य कर रहा/रही हो तथा चयन नीचे पैरा 5 (छ) में दिए गए तरीके से किया गया हो. चयन के बाद प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के लिए पात्र होंगे.

4. इन प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रिंसीपल प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने तथा उचित पर्यवेक्षण करने में समर्थ हो सके, इस उद्देश्य से यह भी आवश्यक है कि इन प्रिंसिपलों को पूरे समय के लिए प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यालय सहित तैनात किया जाए.

5. प्रशिक्षण भत्ते की मंजूरी के लिए निम्नलिखित मार्गनिदेशों का अनुपालन किया जाए :-

(क) संकाय के सदस्य, राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों जिन्हें फील्ड से लिया गया है तथा जिनकी ड्यूटी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण/शिक्षा देना है, को वेतन को संशोधित वेतनमानों में मूल वेतन के 15% की दर पर "प्रशिक्षण भत्ता" प्रदान किया जाए,

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में यथा उल्लिखित "प्रशिक्षण भत्ता" प्रदान करने के परिणामस्वरूप, इन प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात संकाय सदस्यों को मौजूदा प्रशिक्षण भत्ता विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन एवं भत्ते ग्राह्य नहीं होंगे.

(ग) संकाय का अर्थ है, भारत सरकार का वह "कर्मचारी" जो संकाय सदस्य के रूप में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान में कार्यभार संभालता है और जिसका कार्य प्रशिक्षण/शिक्षण देना होता है. इसमें इन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य भी शामिल हैं. लेकिन, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सीधे तथा विशेष तौर पर भर्ती हुए संकाय सदस्य इस "प्रशिक्षण भत्ते" के पात्र नहीं हैं.

(घ) कर्मचारी, चाहे फील्ड से आए हों अथवा स्थानांतरित किए गए हों अथवा स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए हों, जिन्हें प्रशिक्षण/शिक्षण देने के लिए सीधे नहीं लगाया जाता है, वे "प्रशिक्षण भत्ते" के पात्र नहीं होंगे.

(ङ.) प्रशिक्षण भत्ता संकाय सदस्यों को बिना किसी अधिकतम सीमा के ग्राह्य होगा और यह भत्ता एफ आर (9) (21) (2003(21)-आर-II में यथापरिभाषित वेतन के भाग के रूप में नहीं होगा परंतु फिर भी छुट्टी वेतन के प्रयोजन के लिए इसकी गणना की जाएगी.

(च) संकाय सदस्यों के कार्यकाल की अवधि किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(छ) प्रत्येक मामले में इस भत्ते की स्वीकार्यता की जांच बोर्ड के दिनांक 29.6.2001 के पत्र सं. ई (एम पी पी)2001/19/3 सिफारिश सं.37 (आर बी ई सं.127/2001) के अनुसार गठित की जाने वाली एक उपयुक्त स्तर की समिति द्वारा की जाएगी. ये समितियां ऐसी नियुक्तियों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए कड़ी चयन प्रक्रिया अपनाएंगी. ऐसे चयनों के दिशानिर्देशों में न केवल उत्कृष्ट सेवा रिकार्डों को ध्यान में रखा जाना चाहिए बल्कि बेहतर प्रशिक्षण क्षमता तथा कार्य के प्रति रूझान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने, विभिन्न पदों पर कार्य करते समय अपने अधीनस्थों को अपेक्षित प्रशिक्षण मुहैया कराने में उनके द्वारा दिखाए गए उत्साह तथा प्रशिक्षण से संबंधित पदों में उनकी पूर्ववर्ती नियुक्ति में उनके कार्यनिष्पादन यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उपर्युक्त अनुदेशों को बोर्ड के दिनांक 1|.3.03 के पत्र सं. ई (एम पी पी)/99/19/1/पार्ट (आर बी ई सं. 49/2003) के साथ पढ़ें. प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान को तथा प्रशिक्षक को यह भत्ता स्वीकृत किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अवश्य पूरा करते हों. जिन प्रशिक्षकों को समिति द्वारा अनुशंसित न किया जाए, उन्हें उनके संबंधित मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए. तदर्थ आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को यह प्रशिक्षण भत्ता तब तक अनुमेय नहीं होगा जब तक वे विनियमित नहीं हो जाते.

6. ये आदेश 1.4.2005 से प्रभावी होंगें.

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उस समय तक जब तक स्क्रीनिंग नहीं की जाती है और संकाय सदस्यों जिन्हें उपयुक्त नहीं पाया जाता है, उन्हें उनके संबंधित मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने पर संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया है, को कार्यभार संभालने की तारीख अथवा 1.4.2005, जो भी बाद में हो, से प्रत्यावर्तन की तारीख तक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए.

8. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे के पास बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है.

9. इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(पी. अनंत)
संयुक्त निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड.

सं ई (एम पी पी)2005/13/2 नई दिल्ली, दिनांक 22.8.05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
2. विस एवं मुलेधि, मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण-मध्य, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम रेलें, उत्तर मध्य, पूर्व तट, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, द पू म, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य रेलवे.

कृते वित्त आयुक्त/रेल

सं ई (एम पी पी)2005/13/2 नई दिल्ली, दिनांक 22.8.05

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 प्रतियां).
2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35

प्रतियां)

3. सेक्रेटरी जनरल, एफ आर ओ ए, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 प्रतियां)
4. सेक्रेटरी जनरल, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 प्रतियां)
5. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियां)
6. सेक्रेटरी जनरल, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल संघ, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ (5 प्रतियां)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.